बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 120 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 20 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

रमजान में दिल्ली की शराब दुकानें हों बंद, शोएब जमाई की मांग, सावन माह से की तुलना

नई दिल्ली । नई दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन यानी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने रमजान के महीने में सभी शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है. यह अपील 19 फरवरी को की गई, जब से रमजान शुरू होने की घोषणा हुई है. उन्होंने सावन महीने का जिक्र करते हुए दिल्ली सरकार से सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री और खपत पर रोक लगाने की भी बात कही है. शोएब जमाई ने ये मांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए की है जिसमें उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि रमजान मुसलमानों का पवित्र महीना है.

दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, डर के साए में जीने को मजबूर हैं लोग, बीजेपी पर बरसी आप

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना हो रही हत्याओं को लेकर बीजेपी की सरकार और उसकी पुलिस पर तीखा हमला बोला है. ''आप'' विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की वजह से रोज हत्याएं हो रही हैं. अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि नंदनगरी में अपने नाबालिग बेटे को बचाने गए पिता की बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी. हलात ये हो गए हैं कि अब बीच बचाव करने वाले लोगों की हत्याएं हो रही हैं और सरकार व पुलिस सो रही है. जबकि देश की राजधानी में अपराधी थर-थर कांपने चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है. यहां लोग ही बदमाशों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं. बुधवार को आप मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर वरिष्ठ नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था बीजेपी सरकार के हाथ से लगातार निकलती जा रही है. नए साल से लेकर अब तक दिल्ली में सैकड़ों हत्याएं हो चुकी है. दिल्ली में एक ही दिन में छह मर्डर हुए. फिर भी बीजेपी की चार इंजन वाली सरकार अपराध को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है. कुलदीप कुमार ने कहा कि पहले दिल्ली में जब कोई रोड रेज की घटना होती थी, कोई अपराधी किसी को मारने जाता था या कोई लड़ाई-झगड़ा होता था और कोई दूसरा आदमी बीच-बचाव करने आता था, तो मामला वहीं खत्म हो जाता था. लेकिन आज दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि मंगलवार को नंदनगरी में एक नाबालिग बच्चे को जब कुछ बदमाश मार रहे थे, तो उसे बचाने आए उसके पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई. कुलदीप कुमार ने कहा कि बीजेपी देश को विश्व गुरु बनने की बात कर रही है. बीजेपी सरकार कह रही है कि हम एआई समिट करा रहे हैं और बाहर से विदेशी प्रतिनिधि आ रहे हैं. देश की राजधानी में ऐसी वारदातें होने से विदेशों में क्या संदेश जाएगा? आखिर दिल्ली में अपराधों पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? लगातार फिरौतियां मांगी जा रही हैं और हत्याएं हो रही हैं. अपने बच्चे को बचाने के लिए बीच में आने वाले पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई. कुछ दिन पहले त्रिलोकपुरी में एक

व्यक्ति को बचाने आए एक वकील को गोली मार दी जाती है. गनीमत रही कि उनकी जान बच गई. अब दिल्ली में बीच-बचाव कराने वाले को गोली मारी जा रही है, उसकी हत्या कर दी जा रही है.

कुलदीप कुमार ने पूछा कि दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर क्या काम कर रही है? एक साल में चार इंजन वाली बीजेपी सरकार ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया. कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है. माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं हैं. द्वारका केस में पुलिस तब जागी, जब सोशल मीडिया के जरिए उस पर दबाव बना. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता पर एफआईआर दर्ज की जाती है.

उससे पहले पुलिस सोती रही. बीजेपी कानून व्यवस्था पर ध्यान दे. सीएम रेखा गुप्ता ने कॉपी-पेस्ट और नाम बदलने की राजनीति बंद कर कुछ काम करें और दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करें. कुलदीप कुमार ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय मांगते हैं, तो हमें समय नहीं दिया जाता. आम आदमी पार्टी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभा रही है. क्या पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को विपक्ष के विधायकों और नेताओं से मिलने में कोई आपत्ति है? यदि आप विधायक दिल्ली की कानून व्यवस्था के संबंध में उन्हें जानकारी देना चाहते हैं, तो क्या वे जानकारी नहीं लेंगे? पुलिस कमिश्नर राजनीति से ऊपर उठकर काम करें. आप नेता कानून व्यवस्था पर उनसे बात करना चाहते है. हम जानना चाहते हैं कि आखिर अपराधी इतने भयमुक्त क्यों घूम रहे हैं? अपराधियों को अपराध करने से डर क्यों नहीं लग रहा है? दिल्ली देश की राजधानी है, यहां अपराधियों को अपराध करने से पहले थर-थर कांपना चाहिए, लेकिन वे खुलेआम घूम रहे हैं और सड़कों पर गोलियां चला रहे हैं. दिल्ली के अंदर एक दिन में छह-छह हत्याएं हो रही हैं. कुलदीप कुमार ने कहा कि पुलिस कमिश्नर राजनीति से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था पर ध्यान दें. अन्यथा, देश की राजधानी में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे पूरे देश में क्या संदेश जा रहा है? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें पुलिस कमिश्नर से मिलने का पूरा अधिकार है. कमिश्नर को मिलने का समय देना ही पड़ेगा. आप विधायक उन्हें बताएंगे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था क्यों ठप हो रही है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में चार इंजन वाली बीजेपी सरकार के चारों इंजन फेल हो चुके हैं. दिल्ली में कोई भी काम नहीं कर रहा है.

दिल्ली में 2100 करोड़ से ज्यादा की जल परियोजनाएं शुरू

नई दिल्ली । पानी और सीवर व्यवस्था सुधारने के लिए 2100 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं से सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ेगी, पाइपलाइन बदली जाएगी और कई इलाकों में घर-घर सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल पश्चिमी दिल्ली के टोडापुर स्थित रामलीला मैदान में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की 2100 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर देती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरी हों, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। कार्यक्रम में नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह,

राजेंद्र नगर के विधायक उमंग बजाज सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ पेयजल और आधुनिक सीवरेज सिस्टम सरकार की प्राथमिकता है। जिन इलाकों में वर्षों से पानी और सीवर की समस्या थी, वहां अब स्थायी समाधान किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से सीवेज साफ करने की क्षमता बढ़ेगी और बिना साफ किया गया गंदा पानी यमुना में जाने से रुकेगा। साथ ही पानी की सप्लाई व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को नियमित व पर्याप्त पानी मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि विकसित दिल्ली के लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत जल और सीवर ढांचा जरूरी है। सरकार मिशन मोड में काम कर रही है, ताकि हर घर तक साफ पानी पहुंचे और हर इलाके में आधुनिक सीवर नेटवर्क हो। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये सिर्फ योजनाओं की शुरुआत नहीं, बल्कि विकास की नई दिशा है। सरकार पानी और सीवर सेवाओं को आधुनिक, मजबूत और लोगों की जरूरत के मुताबिक बनाने पर काम कर रही है। सीएम ने बताया कि जल उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लागू एमनेस्टी स्कीम में अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है।

योजना को अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब तक 3.52 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को पेनल्टी, ब्याज और सरचार्ज में राहत दी गई है।

दिल्ली-एनसीआर में कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल, खाली कराए गए परिसर; अलर्ट पर एजेंसियां

नई दिल्ली । दिल्ली के तीन स्कूलों को गुरुवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत स्कूलों को खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू किया। यह जानकारी दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी द्वारा दी गई। वहीं नोएडा में भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। जिसके बाद ईमेल के संबंध में साइबर टीम तकनीकी जांच में जुटी हुई है। अधिकारी ने कहा कि, हमें तीन स्कूलों को भेजे गए बम धमकी वाले ईमेल की सूचना मिली थी, जिनमें द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और सेंट थॉमस स्कूल के साथ ही पश्चिम एन्क्लेव स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल शामिल हैं। एहतियात के तौर पर फायर टेंडर और रेस्क्यू टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि अलर्ट मिलते ही स्कूलों में पुलिस टीम, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तैनात कर दिए गए। एहतियातन स्कूल प्रबंधन ने छात्रों और स्टाफ को परिसर से बाहर निकाल दिया, जबकि तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, हालांकि स्कूल परिसरों में विस्तृत सैनिटाइजेशन जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि साइबर टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और ईमेल के स्रोत का पता लगाने के प्रयास जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि, ईमेल की जांच कर उनके स्रोत और सत्यता का पता लगाया जा रहा है। यह भी जांच की जा रही है कि क्या इसी तरह की धमकियां अन्य संस्थानों को भी भेजी गई हैं। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के कई स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए सभी संबंधित स्कूलों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कराया। पुलिस द्वारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एएस चेक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से स्कूल परिसरों की सघन चेकिंग कराई गई। अधिकारियों के अनुसार अब तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध या प्रतिकूल वस्तु बरामद नहीं हुई है। पुलिस टीमों की ओर से लगातार सतर्कता बरती जा रही है और सभी स्थानों पर शांति व्यवस्था कायम है। वहीं, धमकी भरे ईमेल के संबंध में साइबर टीम तकनीकी जांच में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूर्णतः सामान्य है और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। दिल्ली के तीन स्कूलों में बम की सूचना फर्जी निकली। दमकल अधिकारियों के मुताबिक द्वारका के गोयला डेयरी स्थित सेंट थॉमस स्कूल के साथ-साथ द्वारका सेक्टर 16 स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और पश्चिम एन्क्लेव में डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल को धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस की बम निरोधक दस्ता और दमकल की टीम स्कूल पहुंची। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद स्कूलों के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान किसी भी स्कूल से कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। उसके बाद सूचना को फर्जी करार दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ई-मेल के जरिए इन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ग्रेटर नोएडा के तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में स्थित डीपीएस, एस्टर स्कूल और सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एस्टर पब्लिक स्कूल को भी धमकी मिली है। सूचना के बाद डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने पुलिस फोर्स के साथ स्कूल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

क्या राहुल गांधी 'विशेषाधिकार की भावना' से ग्रस्त हैं?

समय कई बार ऐसी चौंकाने वाली समानताएं हमारे सामने रख देता है, जो राजनीतिक-जीवन को नए तरीके से समझने का अवसर देती हैं। आज की उथल-पुथल भरी वैश्विक राजनीति में 2 ऐसे व्यक्तित्व-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और देश के नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय होने के बावजूद दोनों का बदलते भारत को देखने का दृष्टिकोण लगभग एक जैसा है। यह इसलिए भी यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि ट्रम्प विदेशी हैं और राहुल भारत के शीर्ष नेताओं में एक। दोनों ही उस नए भारत से असहज हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए बिना किसी हीनभावना के दुनिया से अपनी शर्तों पर आत्मविश्वास के साथ संवाद कर रहा है। एक ओर ट्रम्प के रूप में वह दृष्टिकोण है, जो केवल लेन-देन पर आधारित है और वैश्विक व्यवस्था में अपनी धमक बरकरार रखने के लिए प्रयासरत है, वहीं राहुल एक ऐसे राजनीतिक वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने स्वतंत्र भारत की सत्ता को अपनी विरासत मानकर पश्चिमी स्वीकृति को ही कूटनीतिक सफलता का पर्याय समझा है। लोकतंत्र में आलोचना स्वाभाविक है। लेकिन यह चिंताजनक तब हो जाता है, जब देश का कोई प्रमुख नेता बाहरी पूर्वाग्रहों को अंतिम सत्य मानकर उन्हें दोहराने लगता है। राहुल द्वारा ट्रम्प के 'मृत अर्थव्यवस्था' कथन का समर्थन, मोदी सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता का उदाहरण है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान युद्धविराम में अमेरिकी मध्यस्थता के ट्रम्प के दावे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री पर 'नरेंद्र-सरेंडर' जैसी टिप्पणी कर दी, जबकि भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से साफ इंकार कर चुका था, जिसकी पाकिस्तान भी गवाही देता है। निसंदेह, सशक्त विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है। लेकिन अपने ही देश के खिलाफ बाहरी आरोपों को प्रामाणिक मानकर पेश करना खतरनाक प्रवृत्ति है। भारत इसी परतंत्र मानसिकता के कारण शताब्दियों तक विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहा था। बात राहुल के वक्तव्यों तक भी सीमित नहीं है। वह संसद जैसी संस्था को अपने आचरण से कई बार उपहास का विषय बना चुके हैं। हाल ही में लोकसभा में उन्हें जनरल (सेवानिवृत्त) मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा से उद्धरण देने, जो न तो सार्वजनिक है और न ही रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, से संसदीय नियमों के तहत रोका गया। उन्होंने संसदीय परंपराओं का सम्मान करने की बजाय इसे संसदीय कार्यवाही में व्यवधान डालने का मुद्दा बना लिया। बार-बार के स्थगन, लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और योजनाबद्ध टकराव को लोकतांत्रिक प्रतिरोध का नाम दिया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी खुलासा किया कि संसद में चर्चा के समय प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अप्रिय हरकत करने की कोशिश की जा रही थी। राहुल की यह 'अराजक' शैली नई नहीं है। 2018 में लोकसभा में प्रधानमंत्री को जबरन गले लगाने के बाद अपने सहयोगियों को आंख मारने की घटना आज भी जेहन में ताजा है। नाटकीयता गंभीर राजनीति का पर्याय नहीं हो सकती, वह संस्थागत गरिमा को आहत करती है। संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री का जबरन हाथ पकड़कर संयुक्त प्रेस वार्ता का प्रयास भी इसी मानसिकता का विस्तार था। जाने-अनजाने में राहुल देश-विरोधियों के हाथों में भी खेलने लगते हैं। सितम्बर 2024 की अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने दावा किया कि भारत में सिख समुदाय की पहचान खतरे में है। इस बयान को खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने एजेंडे के समर्थन में तुरंत लपक लिया। इससे पहले वर्ष 2023 में राहुल द्वारा ब्रिटेन यात्रा के दौरान दिए गए वक्तव्यों का आशय था कि 'भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है' और उसे बचाने के लिए 'पश्चिमी हस्तक्षेप' अपेक्षित है। अक्सर, विदेशों में दिए गए ऐसे वक्तव्य घरेलू राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहते और वे भविष्य में देश के शत्रुओं के प्रचार-तंत्र का हथियार बन जाते हैं। राहुल इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वे 'विशेषाधिकार की भावना' से ग्रस्त हैं? क्या वह मानते हैं कि केवल उन्हें ही अपने मुताबिक 'लोक' (जनमानस) और 'तंत्र' (मीडिया-न्यायालय सहित) चलाने का 'दैवीय अधिकार' है? असल में उनका यह चिंतन न तो 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद पनपा है और न ही यह भाजपा-आर.एस.एस. तक सीमित है। 27 सितम्बर, 2013 को उन्होंने अपनी ही केंद्र सरकार के एक अध्यादेश को 'बकवास' बताते हुए उसे सार्वजनिक रूप से 'फाड़कर फेंक देने' की बात कही थी। इसी तरह से 2019 की एक चुनावी रैली में उन्होंने 'मोदी' उपनाम वाले सभी लोगों को 'चोर' कहा, तो 2024 की एक सभा में भाजपा के दोबारा सत्ता में आने पर देश के 'आग में जल उठने' की आशंका जताई। लगातार चुनावी पराजयों के बाद वह चुनाव आयोग और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल कांग्रेस की उस व्यवस्था से आते हैं, जिसमें भारतीय परंपरा-स्वाभिमान उत्सव का नहीं, बल्कि तथाकथित पिछड़ेपन, उत्पीड़न और महिला-विरोध का प्रतीक माना जाता है। दशकों तक भारतीय संस्कृति के प्रति हीन-भावना रखने वालों को मतदाता लगातार खारिज कर रहे हैं। वर्ष 2014 से ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को जनादेश मिल रहा है, जो सभ्यतागत पुनरुद्धार, कल्याणकारी वितरण और रणनीतिक दृष्टि से ईमानदार है। भारत अभूतपूर्व स्तर पर आधारभूत संरचना का निर्माण, डिजिटल माध्यम से जनहित योजनाओं का विस्तार, रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण और बहुपक्षीय मंचों पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रहा है। ट्रम्प अपने व्यवहार-वक्तव्यों से भारत का बहुत अधिक नुकसान नहीं कर सकते। एक तो उनका कार्यकाल सीमित है, दूसरा, भारत इतना सामर्थ्यवान हो चुका है कि वह किसी भी बड़ी वैश्विक शक्ति का विरोध सहते हुए सिर ऊंचा करके जी सकता है। परंतु भारत के भीतर-विशेषकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए जाने वाले गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देश को गंभीर और गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं।

अब कड़वे फैसले ही गढ़ेंगे हिमाचल का भविष्य

हिमाचल समेत 17 राज्यों में केंद्र सरकार की विशेष दरियादिली यानी राजस्व घाटा अनुदान (आर.डी.जी.) खत्म होने के बाद अब वक्त आ गया है, जब राज्य सरकारें आर.डी.जी. से आगे का सोचें, खासकर हिमाचल जैसा छोटा सा राज्य। वित्तीय नजाकत को समझते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार के मुखमंत्री ने सत्ता संभालते ही कुछ फैसलों से कड़वे घूंट पी लिए थे, ताकि खजाने में थोड़ा सुधार हो, लेकिन यही काम पूर्व में रही भाजपा या कांग्रेस सरकारों ने कर लिया होता तो इस बदहाली की नौबत न आती। खैर, अब आर.डी.जी. बंद हो गई है, पिछली सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ पार कर गया है, जिसका ब्याज चुकाते करते-करते किसी भी दल की सरकार के पसीने छूटेंगे। दूसरे आर्थिक मुद्दे भी हैं जिन पर वर्तमान की कांग्रेस सरकार अंगारों पर चल रही है। इसलिए अब आर.डी.जी. से आगे कदम बढ़ाने व स्व-साधन विकसित करने का वक्त है और संकट की इस घड़ी में सरकारी कर्मियों को ही थोड़ा बनकर चलना होगा ताकि गैर सरकारी जनता भी स्वयं को बेहतर स्थिति में ला सके। इसलिए मुफ्त की योजनाओं से इतर विकास के नए अवसरों को झटपट पाना और कठोर निर्णय लेना, वक्त की जरूरत बनी है। वरना राज्य का आगे चल पाना, यानी बुनियादी कामों का होना भी दुश्वार होगा। बहरहाल सुधारों का पिटारा तत्काल प्रभाव से सुक्खू सरकार को शुरू करना चाहिए। इसमें पहल चुने हुए प्रतिनिधियों से ही करनी चाहिए, जिन्हें हर टर्म की अलग पैंशन मिलती है और कुछ-कुछ अंतराल के बाद वेतन-भत्ते भी बढ़ते रहते हैं। खासकर हर बार की चुनावी रिटर्न में कुछ की करोड़ों की भारी बढ़ौतरी देखी गई है। दूसरा, यदि पैंशन के मामले में देनदारी खासी बढ़ गई है, तो इस विषय में पुनर्विचार करना भी एक व्यावहारिक फैसला हो सकता है, क्योंकि पैंशन व एरियर से भी राज्य के खजाने को बहुत बड़ी मार मिल रही है। इस विषय में विपक्ष को भी राजनीति से दूर व्यावहारिक नजरिया रखना होगा क्योंकि गत वर्षों की प्रदेश की ऋण स्थिति, वेतन, एरियरों व डी.ए.पी. के साथ सभी सरकारों के निर्णय पर गौर करें तो कोई भी एक दल या पार्टी विशेष कटघरे में खड़ी नहीं होती बल्कि सभी होते हैं। क्योंकि गत कई दशकों में सब्सिडी आधारित राजनीति सभी ने की। कर्ज सभी ने लिए। राजस्व सुधारों की कमी सभी स्तरों पर रही। वास्तव में हिमाचल बिना केंद्र की मदद के खुद तेजी से विकसित इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह पहाड़ी राज्य है। प्रेम कुमार धूमल का 2 टर्म का कार्यकाल रहा। अब सभी मुख्यमंत्रियों का वर्ष 2000 से आगे के अनुमानित कर्ज आंकड़ों में अपने आप में काफी कुछ कहता है। प्रेम कुमार धूमल 14000 करोड़ रुपए का कर्ज, वीरभद्र सिंह के 2 कार्यकालों में 21500 करोड़ रुपए, जयराम ठाकुर के एक कार्यकाल में 22000 करोड़ रुपए (कोरोना काल) और सुखविंदर सिंह सुक्खू के 3 वर्ष के कार्यकाल में अनुमानित 18000 करोड़ रुपए (आपदा काल) ऋण लिया गया। इस तरह सुक्खू सरकार में, पिछली सरकारों का लिया हुआ कर्जा समेत मिलाकर करीब 1 लाख करोड़ हो गया। ऐसे में आर.डी.जी. का बंद होना भी वज्रपात ही है। यह विडंबना है कि सभी को मालूम था कि हालात खराब हो रहे हैं। सी.ए.जी. ने भी स्पष्ट कर दिया था कि असंतुलन तेजी से हो रहा और आमदनी धीमी है। आयकर कम है, तब कर्ज लेना पड़ा। यानी खर्च बढ़ा, राजस्व नहीं। जो ऋण लिया वह सैलरी-पैंशन पर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ। हर सरकार के समय पर सब्सिडी की मार प्रदेश को झेलनी पड़ी। प्रेम कुमार धूमल के समय 5वां, 6वां वेतन आयोग लागू किया। बिजली व किसानों की सब्सिडी, नए मंडल, उपमंडल खोलना, कर्ज आधारित विकास मॉडल बना। वीरभद्र ने बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां कर दीं। सामाजिक पैंशन विस्तार, बोर्ड निगम घाटे में। जयराम ठाकुर ने बिजली 125 यूनिट मुफ्त की, कोरोना काल में उधारी बढ़ी, राजस्व गिर गया, वेतन आयोग का एरियर मिलता रहा। सुक्खू सरकार में ओ.पी.एस. ने तगड़ा झटका दिया। कर्ज का ऋण देते रहे और दो बड़ी आपदाओं में पुनर्वास में भारी खर्च हुआ। ओ.पी.एस. इस समय ऋण क्षमता को 1800 करोड़ कम कर देता है क्योंकि यह डैडीकेटेड कॉरपस होता है। यही झटका इस सरकार को लगा। वैसे हैरानीजनक बात यह है कि प्रदेश की वृद्धि दर भी खास नहीं सुधर रही। वर्ष 2005-06 में यह 10 प्रतिशत थी जो 2011-12 में 7 प्रतिशत हो गई। 2018 में 6 प्रतिशत और 2019 में 4 प्रतिशत पर आ गई। आज प्रदेश की जी.डी.पी. हमारे देश की जी.डी.पी. से नीचे चल रही है। उधर दूसरी ओर 11वें वित्त आयोग ने प्रदेश को 4,549 करोड़ की अनुमानित घाटा भरपाई (आर.डी.जी.) दी, 12वें आयोग ने 10,202 करोड़, 13वें वित्तायोग ने 19300 करोड़, 14वें आयोग ने 40,624 करोड़, 15वें आयोग ने 4 वर्षों के (2024 तक) 37,199 करोड़ दिए हैं।

सम्पादकीय...

भारत के लिए बड़ा सबक है गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद

20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 के लगभग वैश्विक एआई अग्रणी भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी तरह के पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अपनी नई भूमिका की तलाश कर रहा भारत, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कर रहा है। यह पहली बार है जब एआई पर इस स्तर का वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने इसे लेकर दावा भी किया है कि इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, मंत्रीगण, वैश्विक प्रौद्योगिकी अग्रणी, प्रख्यात शोधकर्ता, बहुपक्षीय संस्थान और उद्योग जगत के हितधारक एक साथ आएंगे और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और सतत विकास को सक्षम बनाने में एआई की भूमिका पर विचार-विमर्श करेंगे। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अभूतपूर्व वैश्विक भागीदारी के साथ चल रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अपने आप में यह बताता नजर आ रहा है कि भारत आज की तारीख में वैश्विक एआई संवाद का नेतृत्व कर रहा है और आने वाले दिनों में कोई भी देश भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वैश्विक एआई एजेंडा को आकार देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। दुनियाभर के दिग्गजों के साथ-साथ इस समिट में भारत के भी कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो एआई को 5वीं औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देते हुए यहां तक दावा किया कि, 3 लाख से ज्यादा छात्रों और रिसर्चर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। देशभर के कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टार्टअप ने समिट में एआई मॉडल्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जाहिर सी बात है कि इस समिट के जरिए जहां चर्चा भारत के युवाओं की बौद्धिक क्षमता और टैलेंट की होनी चाहिए थी, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर दिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन में बने रोबोट को अपना इनोवेशन बताकर दिल्ली एआई समिट में पेश कर दिया। मीडिया से बात करते हुए एक प्रोफेसर ने बड़े ही गर्व के साथ चार पैरों वाले इस रोबोडॉग की खासियत भी कैमरे पर बताई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस प्रतिनिधि के हाव-भाव देखने लायक हैइसका नाम ओरियन बताते हुए उन्होंने दावा किया कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। सरकारी चैनल सहित देश के कई मीडिया संस्थानों ने इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जोर-शोर से चलाया और छापा भी। लेकिन चीन की तरफ से बयान आते ही पूरा मामला पलट गया। इसके बाद यह पता लगा कि वास्तव में यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं बल्कि चीन की एक कंपनी द्वारा बनाया गया एआई-पावर्ड रोबोटिक डॉग है, जो अपनी फुर्ती और एडवांस सेंसर्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है। विवाद बढ़ने और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपने झूठ को स्वीकार कर लिया। यूनिवर्सिटी ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर यह स्वीकार किया कि यह रोबोडॉग उन्होंने नहीं बनाया है।

मजहब के आधार पर बंटवारा

असली सवाल यह है कि किसी भी राय का कोई भी मसला सीधे सर्वोच्च न्यायालय लाकर क्या हम उस स्थापित न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करते हैं जिसके माध्यम से न्याय पाने को सुगम बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय पीठ ने श्री सरमा के विरुद्ध दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों व अन्य के द्वारा दायर याचिका पर कहा कि जब भी कहीं चुनाव आते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को राजनैतिक अखाड़े में तब्दील करने की कोशिशें की जाती हैं। न्यायमूर्तियों की राज्य में सीधे सर्वोच्च न्यायालय आने से क्या उच्च न्यायालयों के नैतिक बल में ह्रास नहीं होता है ? न्यायमूर्तियों का कहना था कि उच्च न्यायालय भी संवैधानिक न्यायालय होते हैं और उनके पास हमसे यादा ही अधिकार होते हैं अत: ऐसी स्थिति को कैसे सहन किया जा सकता है। बेशक किसी भी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु संविधान के अनुछेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आने का अधिकार होता है मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि राजनैतिक दृष्टि से हानि-लाभ पहुंचाने वाले मुद्दों को भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय लेकर आया जाये। श्री सरमा संवैधानिक पद पर हैं और असम के मुख्यमन्त्री हैं अत: बेहतर होता यदि उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले को पहले उच्च न्यायालय में ही ले जाया गया होता लेकिन पिछले कुछ समय से हर मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं। इससे ऐसी याचिकाओं को मीडिया में अच्छा खासा प्रचार भी मिल जाता है जिसका हानि-लाभ राजनैतिक दृष्टि से भी आंका जाता है।

स्वतन्त्रता के बाद भारत ने जब स्वयं को धर्म या पंथ निरपेक्ष देश घोषित किया तो उसके सामने इस्लाम धर्म की बुनियाद पर बना वह पाकिस्तान देश था जो उसी को काट कर अलग किया गया था और मुस्लिम लीग को इस बुनियाद पर तामीर किया गया था कि हिन्दू और मुस्लिम दो अलग-अलग संस्कृतियां हैं जिनमें आपस में कहीं सामंजस्य का भाव नहीं है। मगर हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों ने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के इस द्विराष्ट्रवाद के सिद्धान्त का न केवल विरोध किया, बल्कि यह सिद्ध करने की भी कोशिश की कि हिन्दोस्तान विभिन्न मत-मतान्तरों का ऐसा देश है जिसकी धरती पर सदियों से परस्पर विचार विभिन्नता रहने के बावजूद लोग आपस में मिलजुल कर रहते आये हैं। स्वतन्त्रता के राष्ट्रीय आन्दोलन में सभी मतों के लोगों के एक साथ आने के बावजूद 1947 में भारत का मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया लेकिन भारत ने खुद को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में ही मान्यता दी और यह सुनिश्चित किया कि इस देश में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों को भी हिन्दू नागरिकों के समान ही बराबर के अधिकार मिलें। हमारे संविधान में यह पुख्ता व्यवस्था की गई और सुनिश्चित किया गया कि देश के सभी समुदायों के बीच आपसी भाईचारा कायम करने हेतु व्यापक उपाय किये जायें। समाज में धर्म, जाति, क्षेत्र, जन्म या लिंग के आधार पर नफरत फैलाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया और ऐसे कार्यों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला कहा गया। किन्हीं दो सम्प्रदायों या समुदायों के बीच वैमनस्य या नफरत फैलाने के कृत्य को अत्यधिक संजीदगी के साथ लिया गया। इसकी वजह यही थी कि समाज में नफरत फैलने की वजह से देश कमजोर होता है जिसका असर समूची विकास प्रक्रिया पर पड़ता है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि देश के लोगों को सरकारें मजबूत बनाने का प्रयास करें और यह कार्य तभी हो सकता है जब समाज में आपसी सद्भाव व भाईचारा हो। भारत ने किसी भी धर्म को अपना राजधर्म घोषित नहीं किया और इसे नागरिकता का आधार नहीं बनाया, बल्कि यह व्यवस्था की कि भारत के जिस भी भू भाग पर जिस किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति रहता है, वही इसका सम्मानित नागरिक है। संविधान के इस प्रावधान ने भारत में रहने वाले प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को स्वतन्त्र भारत में सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। यही वजह है कि आज आजादी के लगभग 78 वर्ष बाद हम जीवन के हर क्षेत्र में हर समुदाय के व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए पाते हैं परन्तु पिछले कुछ वर्षों से देश में समाज में विद्वेष फैलाने वाले वक्तव्यों या हेट स्पीच की बाढ़ आयी हुई है जिसका संज्ञान 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने लेते हुए आदेश दिया था कि प्रत्येक राय की पुलिस को ऐसे बयानों का स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। हम यह भी देख रहे हैं कि किसी भी राय में चुनाव के आते ही किस प्रकार देश के सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं की कतार लग जाती है और विभिन्न राजनैतिक दल न्यायालय के माध्यम से अपना हिसाब-किताब बराबर करने पर आमादा हो जाते हैं। हाल ही में असम के मुख्यमन्त्री श्री हेमन्ता बिस्वा सरमा के एक वीडियो व वक्तव्यों को लेकर उनके विरोधियों की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने यह कहते हुए सुनवाई करने से इन्कार कर दिया कि पहले यह मामला असम के उच्च न्यायालय में ले जाया जाना चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालयों के पास भी ऐसे मामलों में फैसला करने के व्यापक व पर्याप्त अधिकार हैं। असली सवाल यह है कि किसी भी राय का कोई भी मसला सीधे सर्वोच्च न्यायालय लाकर क्या हम उस स्थापित न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करते हैं जिसके माध्यम से न्याय पाने को सुगम बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय पीठ ने श्री सरमा के विरुद्ध दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों व अन्य के द्वारा दायर याचिका पर कहा कि जब भी कहीं चुनाव आते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को राजनैतिक अखाड़े में तब्दील करने की कोशिशें की जाती हैं। न्यायमूर्तियों की राज्य में सीधे सर्वोच्च न्यायालय आने से क्या उच्च न्यायालयों के नैतिक बल में ह्रास नहीं होता है ? न्यायमूर्तियों का कहना था कि उच्च न्यायालय भी संवैधानिक न्यायालय होते हैं और उनके पास हमसे यादा ही अधिकार होते हैं अत: ऐसी स्थिति को कैसे सहन किया जा सकता है। बेशक किसी भी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु संविधान के अनुछेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आने का अधिकार होता है मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि राजनैतिक दृष्टि से हानि-लाभ पहुंचाने वाले मुद्दों को भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय लेकर आया जाये। श्री सरमा संवैधानिक पद पर हैं और असम के मुख्यमन्त्री हैं अत: बेहतर होता यदि उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले को पहले उच्च न्यायालय में ही ले जाया गया होता लेकिन पिछले कुछ समय से हर मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं। इससे ऐसी याचिकाओं को मीडिया में अच्छा खासा प्रचार भी मिल जाता है जिसका हानि-लाभ राजनैतिक दृष्टि से भी आंका जाता है। जब हमारी न्याय प्रणाली में यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय भी संवैधानिक मसलों पर अपना फैसला दे सकते हैं तो फिर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमों की संख्या क्यों बढ़ाई जाये जबकि इस न्यायालय में कुल 33 न्यायाधीश ही होते हैं। इस बारे में न्यायमूर्ति सूर्यकान्त ने भी टिप्पणी की है। अत: हमें वह रास्ता अपनाना चाहिए जिससे न्याय भी जल्दी मिले और संविधान की अनुपालना भी हो। हेट स्पीच के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में स्पष्ट नियम और निर्देशों की जरूरत है जिसका पालन सभी राय और राजनीतिज्ञ करें।

नफरत फैलाने के मामलों पर प्राथमिकता से सुनवाई होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के एक हेट वीडियो के खिलाफ पटीशन पर सुनवाई करने से मना कर दिया है, जिसमें वह बंदूक पकड़े हुए मुस्लिम कम्युनिटी के 2 लोगों पर गोली चला रहे हैं। इसकी बजाय कोर्ट ने पटीशनर्स से कहा है कि वे रूटीन फॉलो करें और असम हाई कोर्ट जाएं। इस छोटे वीडियो क्लिप के टाइटल थे 'प्वाइंट ब्लैंक शॉट' और 'नो मर्सी' और इसे किसी भी लिहाज से झूठमूठ का जश्न मनाने वाला सबसे खुलेआम कम्युनल पोस्ट कहा जा सकता था। और यह किसी आम नागरिक ने नहीं, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री ने किया था। सच कहूं तो, यह भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो क्लिप को काफी बुराई के बाद हटा दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। उनसे उम्मीद थी कि वह वीडियो के कंटैंट की खुलकर बुराई करेंगे और इसे बनाने और अपलोड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इसकी बजाय उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी और यह साफ कर दिया कि उन्हें नहीं लगता कि वीडियो क्लिप बुराई के लायक है। सरमा, जो जल्द ही असम में असैंबली चुनाव का सामना करने वाले हैं, शायद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे यादा सांप्रदायिक सोच वाले मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं। सत्ता बनाए रखने की उनकी बेचैनी समझ में आती है, लेकिन समाज को इस तरह के सांप्रदायिक जहर की जो बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, उसके लंबे समय तक चलने वाले नतीजे होंगे। कोई भी समझदार नागरिक उम्मीद करता कि सबसे बड़ी अदालत सरमा के शुरू किए गए हेट कैंपेन पर खुद से नोटिस लेगी। लेकिन ऐसा करने की बजाय, उसने जाने-माने लोगों के एक ग्रुप की अर्जी पर भी सुनवाई करने से मना कर दिया और उनसे पहले राज्य की हाई कोर्ट जाने के नियम का पालन करने को कहा। इस मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए, भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत ने कहा कि जब भी चुनाव रडार पर होते हैं, तो 'यह कोर्ट एक राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन जाता है'। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी क्योंकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसमें कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि राज्य सरकार का प्रमुख शामिल था। चीफ जस्टिस ने कहा, ''पूरी कोशिश हाई कोर्ट को कमजोर करने और उनका हौसला तोड़ने की है, जो हमें मंजूर नहीं है। हाई कोर्ट की अथॉरिटी को कमजोर करने की यह एक बहुत ही सोची-समझी चाल है। वे संवैधानिक कोर्ट हैं और उनके

पास हमसे ज्यादा शक्ति है।'' हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब पटीशनर सीधे सुप्रीम कोर्ट गए थे। एक पटीशनर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ए.एम. सिंघवी ने 17 ऐसे मामलों का जिक्र किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत अपने रिट ज्यूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए सीधे पटीशन पर सुनवाई की थी। सिंघवी ने कहा, ''हाई कोर्ट की शक्ति पर कोई शक नहीं है। लेकिन आर्टिकल 32 क्यों बनाया गया था? इसे बड़े केस के लिए बनाया गया था।'' आर्टिकल 32 लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सिंघवी ने कहा कि जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का हौसला तोड़ने की बात कर रहे थे, ''यहां एक व्यक्ति देश के संवैधानिक माहौल का हौसला तोड़ रहा है।'' पटीशन पर सुनवाई करने से मना करते हुए, कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसी भी हाई कोर्ट के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ पटीशन पर सुनवाई करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, हाई कोर्ट के आदेश पर किसी भी जांच के लिए राज्य मशीनरी की मदद की जरूरत होगी, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जो गृह मंत्री के जरिए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। यह वाकई सुप्रीम कोर्ट के लिए जल्दी दखल देने का एक सही मामला था। हालांकि, एक और मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं को भाईचारा बढ़ाना चाहिए और बड़े सरकारी अधिकारियों को संविधान के आदर्शों पर चलना चाहिए। कोर्ट एक पटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मुख्यमंत्रियों, सीनियर नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के ऐसे सार्वजनिक बयानों के उदाहरण दिए गए थे, जो पूरे समुदायों को बदनाम करते हैं, भेदभाव वाले शासन को सही ठहराते हैं और राज्य की समान नागरिकता के वादे में जनता का भरोसा कम करते हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी पद पर बैठे लोग और सीनियर एग्जीक्यूटिव अधिकारी, जो लगातार अपमानजनक भाषण देते हैं, वे आम बोलने वाले नहीं हैं। कोर्ट ने 'सार्वजनिक हस्तियों' के लिए भी एक जरूरी कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का सुझाव दिया, जैसा 'लोक सेवकों' पर लागू होता है। सी.जे.आई. सूर्यकांत ने कहा, ''हम सभी राजनीतिक दलों को संवैधानिक नैतिकता, मूल्य और आपसी सम्मान की अहमियत समझना चाहते हैं। इन नियमों को हर जगह एक जैसा लागू किया जाना चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। जब सार्वजनिक हस्तियों और लोक सेवकों की बात आती है, तो स्थिति अलग होती है। लोक सेवकों के लिए, बहुत सारे कानून, नियम और मैंडेट्स हैं जो व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सब कुछ पहले से ही मौजूद है। सार्वजनिक हस्तियों के लिए भी कुछ ऐसा ही कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए।'' यह करना सही होता, लेकिन सबसे बड़ी कोर्ट को असम हेट वीडियो का संज्ञान लेना चाहिए था, यह देखते हुए कि इसमें तुरंत दखल देना जरूरी था। इससे नफरत फैलाने वालों को स्पष्ट संकेत मिलता।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार पिहानी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैन्थनगर एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार पिहानी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08862)

किसानों ने डीएम के सम्मुख उठाईं समस्याएं

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने कृषि से जुड़ी समस्याओं और अन्य ग्रामीण क्षेत्र की शिकायतों और समस्याओं को सुना और संबधित विभागीय अधिकारियों को निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए। जिले की चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में समयबद्धता का पालन किए जाने पर किसानों ने एक स्वर में जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया और कहा कि अब उनके सामने गन्ना मूल्य भुगतान में अनावश्यक विलंब होने का मुद्दा नहीं है। किसानों ने जिलाधिकारी से कहा कि उन्हें अधिक उपज और उंच गुणवत्ता के गन्ना वैरायटी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए ताकि गन्ने की फसल आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक हो सके। छजलैट क्षेत्र में पशुओं का गलत तरीके से उपचार करके किसानों से उपचार के नाम पर भारी रकम वसूलने वाले झोलाछाप व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई का मुद्दा भी किसानों ने जिलाधिकारी

के समक्ष उठाया।इस प्रकरण में जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से विस्तृत जानकारी लेते हुए एसडीएम कांठ को निर्देशित किया कि सम्यक जांच के उपरांत दोषी पाए जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को तत्काल जेल भेजने की कार्यवाही होनी चाहिए। उपनिदेशक कृषि ने बताया कि गन्ने की अंतः फसली के रूप में मूंग फसल के लिए एग्री दर्शन पोर्टल पर निश्शुल्क मूंग बीज हेतु बुकिंग चल रही है और बुकिंग की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 निर्धारित है इसलिए किसान बंधु नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से यथाशीघ्र बुकिंग कर लें। अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक द्वारा एक जांच दो बार किए जाने और दोनों बार पैसे लिए जाने के प्रकरण में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि इस प्रकरण में संबंधित किसान को पैसे वापस दिलाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अल्ट्रासाउंड से जुड़ी सेवाएं जिला चिकित्सालय में भी उपलब्ध हैं इसलिए आमजन जिला चिकित्सालय की अल्ट्रासाउंड सेवाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन श्रीमती संगीता गौतम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह, उप निदेशक कृषि संतोष कुमार द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी एवं किसान बंधु मौजूद रहे।

अशफाक उल्ला, सूफी अम्बा प्रसाद के नाम हो जीआईसी ग्राउंड का नाम

रालोद ने कमिश्नर को दिया ज्ञापन

मुरादाबाद।

राजकीय इंटर कालेज मुरादाबाद परिसर में प्रस्तावित खेल स्टेडियम को महान क्रांतिकारी शहीद ए वतन अशफाक उल्लाह खां व सूफी अम्बिका प्रसाद के नाम से निर्माण करवाये जाने की मांग रालोद ने उठाई है। इस के सम्बंध में कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुरादाबाद के राजकीय इंटर कालेज के परिसर ऐतिहासिक तौर पर सूबेदार रुस्तम खां समय स्थापित हुआ। ब्रिटिश शासन काल में 1860ई जी0आई0सी0 राजकीय इंटर कालेज) के रूप में अस्तित्व में आया। आज इसी के विशाल परिसर में शिक्षा विभाग के कार्यालय व विधुत विभाग व जर्जर अवस्था में हास्टल व कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय व प्रार्थमिक विद्यालय स्थित है फिर भी कालेज का विशाल परिसर आज भी है राष्ट्रीय खेल हाकी आदि खेलों को सीखकर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश व भारत का नाम रोशन कर राष्ट्र सेवा की भावना से कर रहे हैं भविष्य में भी करते रहेंगे। हम ज्ञापन प्रस्तुत कर्ता का सम्बंध इस कालेज से विधार्थी जीवन से है आज इस कालेज के परिसर में खेल स्टेडियम बनाना प्रस्तावित है सरकार प्रशासन स्वागत करते हैं तथा शुभकामनाएं प्रस्तुत यह कहना चाहते हैं कि इस कालेज परिसर के प्रस्तावित खेल स्टेडियम का निर्माण महान कातिक्रारी शहीद ए वतन अशफाक उल्लाह खां व सूफी अम्बिका प्रसाद जी के नाम हो। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सैयद राशिद अली, शाहनवाज मलिक, असलम अंसारी, अनवार मलिक, जावर खां, सलीम कुरैशी, जकी मलिक, सलीम खां आदि उपस्थित रहें।

टीएमयू हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 5.4 किग्रा की निकाली रसौली

मुरादाबाद।

डॉक्टर को यूं ही भगवान का दर्जा नहीं मिला है। संभल के सरायतरीन की पूनम देवी और उनके परिजनों से पूछें तो वे बेहिचक स्वीकारेंगे, हां सचमुच डॉक्टर ईश्वर की मानिंद होता है। टीएमयू हॉस्पिटल में ऐसा ही दुर्लभतम केस आया और महिला रोग विभाग के अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की। डॉक्टरों की इस टीम ने न केवल पहली बार संतान पाने के सुख का सपना संजोए इस महिला की सेफ डिलीवरी कराई, बल्कि 05 किलो 390 ग्राम की रसौली को भी ऑपरेट करके जच्चा की झोली खुशियों से भर दी है। टीएमयू हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। दरअसल स्त्री रोग विशेषज्ञों की टीम के सामने इस केस में ब'चेदानी और अंडेदानी को सुरक्षित बचाना भी बडी चुनौती रहा। डॉक्टर्स ने पेशेंट के पेट में ब'चे संग तेजी से बढ़ रही रसौली को डिलीवरी के बाद ऑपरेट करने का अहम

फैसला लिया। इसी बीच डिलीवरी का भी समय हो गया। ऑपरेशन के जरिए पेशेंट पूनम ने 2.2 किलो के मेल बेबी को जन्म तो दिया, लेकिन डॉक्टरों की टीम जच्चा-बच्चा और रसौली पर नज़र रही।

लेकिन यह देखकर डॉक्टरों की टीम चिंतित हो गई कि पूनम की ब'चादानी सिकुड रही है। रसौली अब शरीर के दूसरे अंगों से पोषित हो रही थी। इसे भी डॉक्टर्स ने खतरे की घंटी माना। रसौली को बाहर नहीं निकाला गया तो पेशेंट के शरीर में इन्फेक्शन बढ़ने से जान भी जा सकती है। इस टीम ने रसौली को ऑपरेट करने का फैसला लिया। ऐसे में डॉक्टर्स ने करीब तीन घंटे चले ऑपरेशन के बाद 5.4 किलो की रसौली को सुरक्षित बाहर निकाला। अब पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ है। संभल के सरायतरीन निवासी 29 वर्षीय गर्भवती श्रीमती पूनम देवी के सात माह बाद पेट में दर्द रहने लगा और पेट का साइज भी असामान्य हो गया। जब दर्द अधिक बढ़ा तो परिवार वाले पूनम को टीएमयू हॉस्पिटल में लेकर आए। टीएमयू में जब डॉक्टर्स ने पूनम का अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला पूनम के पेट में बच्चे के संग-संग करीब 25 सेमीम30 सेमी की रसौली भी पल रही थी। रसौली के कारण ही पेशेंट के पेट में दर्द और साइज बढ़ रहा था। ब'चे को भी पूरा पोषण नहीं मिल रहा था। ऐसे में डॉक्टर्स ने परिवारवालों को सलाह दी कि आप समय-समय पर पेशेंट का चेकअप कराते रहें। डॉक्टर्स ने तय किया कि पहले ब'चे को जन्म देंगे। इसके बाद रसौली का ऑपरेशन किया जाएगा।

ऑपरेशन करने वाली टीम में महिला रोग विभाग की (प्रो.) डॉ. आस्था लालवानी, डॉ. गरिमा वाजपेयी, डॉ. नेहा शरद, जनरल सर्जन डॉ. आर के कौल, एनस्थिसिया विभाग की डॉ. नदीम पल्ली नव्या एंड टीम, रेडियोलॉजी विभाग से (प्रो.) डॉ. श्रुति चंदक एंड टीम, ओटी टेक्निशियन फय्यूम अली, योगेन्द्र कुमार आदि शामिल रहे। उल्लेखनीय है, यह ऑपरेशन कैंप के तहत निशुल्क किया गया है। महिला रोग विभाग की एचओडी प्रो. मनप्रीत कौर ने ऑपरेशन करने वाली टीम को हार्दिक बधाई देते हुए कहा, टीएमयू हॉस्पिटल के महिला रोग विभाग की यह अद्वितीय उपलब्धि है।

फार्मर रजिस्ट्री कैम्पों का अपर जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण

कुशीनगर। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा द्वारा जनपद कुशीनगर की विभिन्न तहसीलों में संचालित फार्मर रजिस्ट्री कैम्पों का पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक किसान बंधुओं को जागरूक करते हुए उनका समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित कराना रहा। निरीक्षण के क्रम में अपर जिलाधिकारी ने तहसील कसानगंज अंतर्गत दिहुलिया मनिया छपरा, तहसील खड्डा के ग्राम भुजौली तथा तहसील पडरौना के बसहिया बनवीरपुर सहित अन्य स्थानों पर आयोजित फार्मर रजिस्ट्री कैम्पों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से संपन्न कराया जाए, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कैम्पों में मौजूद किसानों से संवाद करते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिन किसान बंधुओं की फार्मर रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाई है, वे बिना विलंब अपना पंजीकरण अवश्य करा लें।

उल्टी ने खोला छिपे फाइलेरिया का राज

बहराइच।

जिले के जरवल ब्लॉक के तपेसिपाह गांव में सामूहिक दवा सेवन अभियान के दौरान घटी एक छोटी-सी घटना अब बड़े संदेश में बदल गई है। परिवार के सभी सदस्यों ने फाइलेरिया से बचाव की दवा ली थी। कुछ ही देर बाद 17 वर्षीय बेटी और बहू को उल्टी होने लगी। परिजन घबरा उठे कि कहीं दवा का दुष्प्रभाव तो नहीं हो गया। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य टीम मौके पर पहुंची। चिकित्सकीय निगरानी के साथ परिवार को पूरी जानकारी दी गई और जल्द ही वे सामान्य हो गईं। स्वास्थ्यकर्मियों ने परिवार को समझाया कि यह दवा का नुकसान नहीं, बल्कि शरीर में लंबे समय से छिपे सूक्ष्म फाइलेरिया कृमियों के नष्ट होने की सामान्य प्रतिक्रिया है। जिन लोगों में संक्रमण नहीं होता, उन्हें आमतौर पर कोई लक्षण महसूस नहीं

होता। आशा कार्यकर्ता गुड़िया देवी ने बताया कि शुरुआत में परिवार भयभीत था, लेकिन सही जानकारी मिलने के बाद उनकी आशंका दूर हो गई। अब पूरा परिवार दवा के महत्व को समझ चुका है और दूसरों को भी जागरूक कर रहा है। फाइलेरिया मच्छरों से फैलने वाली गंभीर और

तपेसिपाह की घटना बनी जागरूकता का संदेश

लाइलाज बीमारी है, जो वर्षों तक बिना लक्षण के शरीर में छिपी रह सकती है। वीबीडी नोडल एवं डिप्टी सीएमओ डॉ. अनुराग वर्मा के अनुसार यही संक्रमण आगे चलकर हाथ-पैर में सूजन या हाइड्रोसील जैसी जटिलताओं का कारण बनता है। इसी को देखते हुए जरवल ब्लॉक में 10 से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक निर्धारित लक्ष्य का 42 प्रतिशत पूरा करते हुए 1.20 लाख से अधिक लोग बचाव की दवा सेवन कर चुके हैं। सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने बताया जिले में हाथीपांव के 474 और हाइड्रोसील के 165 मरीज चिन्हित हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि फाइलेरिया एक गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती है। उन्होंने दो वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी पात्र लोगों से दवा सेवन की अपील की और बताया कि उल्टी, हल्का बुखार या मितली जैसे लक्षण अस्थायी होते हैं और संक्रमण समाप्त होने के संकेत हैं। अधिक समस्या के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल का भी गठन किया गया है। फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी दीपमाला ने बताया दवा सेवन के बाद उल्टी, बुखार या कमजोरी महसूस हो तो सोमवार या गुरुवार को रात्रि 8रू30 बजे जिला ट्रामा सेंटर स्थित फाइलेरिया नियंत्रण कक्ष में जांच कराएं। पुष्टि होने पर निःशुल्क उपचार उपलब्ध है।

फाइलेरिया लाइलाज है लेकिन लक्षण से पहले जांच, उपचार से हाथीपांव या हाइड्रोसील जैसी जटिलताओं से बचाव संभव है।

बोलेरो चालक ने यात्रियों को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटा, 50 हजार व मोबाइल लेकर फरार

भीरपुर प्रयागराज। जनपद प्रयागराज के भीरपुर क्षेत्र से एक सनसनीखेज लूट का मामला सामने आया। सोमवार रात लगभग 11:30 बजे प्रयागराज नए पुल से एक बोलेरो वाहन में सवार होकर जिगना (मिर्जापुर) की ओर जा रहे दो युवकों को चालक द्वारा कथित रूप से नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर लूट लिया गया। पीड़ितों की पहचान उमेश कुमार मौर्या पुत्र हिछ लाल मौर्या तथा अनुज कुमार यादव पुत्र श्रीकांत यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बोलेरो से जिगना मांडा के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में चालक ने उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर अचेत कर दिया और कचहरी से पनासा मार्ग के बीच सुनसान स्थान पर फेंक दिया। होश में आने पर पीड़ितों को घटना की जानकारी हुई। आरोप है कि चालक उनके पास से लगभग 50,000 रुपये नकद और मोबाइल

फोन लेकर फरार हो गया। घटना के संबंध में बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरे में बोलेरो गाड़ी का नंबर क्र63 ह 5600 स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन और चालक की तलाश में जुटी है। क्षेत्र में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रात के समय अनजान वाहनों में सफर करते समय सतर्क रहें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित थाने को दें।

चांद के दीदार के साथ बरसने लगीं रहमतें, नूर में डूबी राजधानी दिल्ली; आज से मुकद्दस महीना शुरू

नई दिल्ली । चांद के दीदार के बाद बृहस्पतिवार से मुकद्दस महीना यानी रमजान की शुरुआत हो गई है। जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद, बंगला वाली मस्जिद, आमिर मस्जिद समेत अन्य मस्जिदें नूर से रोशन हो गई है। मीना बाजार, चांदनी चौक, चितली कबर और दरियागंज जैसे बाजारों में रौनकें बढ़ गई हैं। अकीदतमंदों ने रोजे की तैयारी शुरू की है। महिलाएं भी सहरी की तैयारियों में जुट गई है। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने लोगों से सभी रोजे रखने, गुनाह से बचने और अल्लाह की इबादत करने की अपील की है। बुधवार को चांद दिखाई देने के बाद से ही लोगों में उत्साह का माहौल है। हालांकि दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के कई हिस्सों में बादल छाए रहे। सुबह से ही रिमझिम बारिश होती रही, जिसके वजह से यहां चांद नजर नहीं आया। लेकिन बिहार, झारखंड और देश के कई हिस्सों में चांद दिखाई दिया। ऐसे में मस्जिदों में बृहस्पतिवार से रोजा रखने का ऐलान किया गया, जिसके बाद लोग एक-दूसरे से गले मिले।

रिश्तेदारों को फोन पर बधाई दिए। मस्जिदों में बुधवार को ईशा की नमाज के बाद से तरावीह (नमाज में कुरआन पाक की तिलावत) का सिलसिला शुरू हो गया। रमजान और नमाज-ए-तरावीह में अकीदतमंदों को कोई परेशानी न हो इसके लिए मस्जिदों में सफाई की गई है। रंग और पुताई के साथ मस्जिदों को सजा दिया गया। नमाजियों के लिए जानमाज को साफ किया गया है। कई मस्जिदों में पुराने को बदलकर नया जानमाज बिछाया गया है। गर्मी से राहत दिलाने के लिए कूलर, पंखों की भी विशेष व्यवस्था की गई। साथ ही, बिजली कटौती को देखते हुए जनरेटर और तरावीह के दौरान ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर की भी व्यवस्था की गई है।

क्या होती है तरावीह

रमजान के महीने में मस्जिदों में नमाज-ए-तरावीह पढ़ी जाती है, जिसमें बीस रकात नमाज अदा की जाती है। तरावीह के दौरान मस्जिदों में कुरान-ए-पाक की आयतें गूंजती हैं। यह चांद दिखाई देने के बाद ईशा की नमाज के बाद से अदा की जाती है। तरावीह की नमाज रमजान के पहले रोजे से एक दिन पहले ईशा की नमाज के बाद शुरू की जाती है। यह सभी मस्जिदों में एक साथ शुरू होती, जबकि खत्म रमजान की अलग-अलग तारीखों में होती है।

बाजारों में जमकर हुई खरीदारी

चांद का दीदार होने के बाद बाजारों में लोग जमकर खरीदारी करने पहुंचे। वह अपने लिए मेवाई, खजूर, कुर्ता, टोपी, मिस्वाक और इत्र खरीदते हुए नजर आए। बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस बार व्यापारियों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। व्यापारियों ने कहा कि खाने पीने की चीजों से लेकर पहनने-ओढ़ने तक की चीजों की मांग बढ़ी है। ग्राहकों की इस मांग को देखते हुए व्यापारियों ने इस बार रमजान में अच्छे मुनाफे होने की उम्मीद जताई है।

पड़ोसियों का रखें ख्याल, जरूरतमंदों की करें मदद

अकीदतमंदों ने लोगों से अपील की है कि रमजान के महीने में अपने साथ-साथ अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। उन्हें इफ्तार के साथ-साथ अच्छे खाने-पीने की चीजें दें। सदका और जकात करें। जो भी जरूरतमंद नजर आए, उनकी मदद करें। रोजे और तरावीह का एहतमाम करें। पूरे महीने कुरआन पाक की तिलावत करें। साथ ही, गुनाह से बचें।

रेवड़ी नहीं रोजगार के अवसर पैदा करें, सबको फ्री सुविधाएं बांटना गलत

मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट बोला-फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे मुफ्त बिजली-पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी; सरकारें रोजगार दें

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, राय सरकार ने कुछ समुदायों के लिए बिजली टैरिफ में सब्सिडी स्कीम की घोषणा की थी। इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर फाइनेंशियल दबाव पड़ा। राय सरकार के फैसले के खिलाफ पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्यों में अपनाई गई मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत समेत जजों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा ज्यादातर राय पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी विकास को छोड़कर मुफ्त सुविधाएं बांट रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा- जो लोग भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें सहायता देना समझ में आता है। लेकिन अमीर-गरीब में फर्क किए बिना सबको मुफ्त देना गलत नीति है। इस दौरान कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा अगर सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली मिलती रही तो लोगों में काम करने की भावना कम हो जाएगी।

विकास के कामों के लिए पैसा कहां से आएगा?

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कई राय सरकारें भारी कर्ज और घाटे के बावजूद मुफ्त योजनाएं बांट रही हैं। अगर सरकारें मुफ्त पैसे, बिजली या दूसरी सुविधाएं देती रहेंगी, तो आखिर इनका खर्च कौन उठाएगा? अगर सरकारें मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली जैसी सुविधाएं देती रहेंगी, तो विकास के कामों के लिए पैसा कहां से आएगा? सीजेआई ने कहा कि कई राय पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी वे नई-नई कल्याण योजनाएं शुरू कर रहे हैं। कोर्ट ने कैश ट्रांसफर व मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने की वित्तीय समझदारी पर सवाल उठाया और कहा कि रायों को मदद बढ़ाने के बजाय रोजगार पैदा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

एआई की वैश्विक यात्रा में आकांक्षी भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका- पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में कदाचार की संभावनाओं को असीमित बताते हुए इसके नैतिक उपयोग के लिए सुझाव दिए जिनमें डेटा संप्रभुता का सम्मान करना और पारदर्शी सुरक्षा नियम बनाना शामिल है। मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में नेताओं के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वैश्विक यात्रा में आकांक्षी भारत के लिए एक प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत भगवान बुद्ध की भूमि है जिन्होंने कहा था कि सही कर्म सही समझ से आता है और इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि हर कोई एक साथ आकर एक ऐसा रोडमैप तैयार करे जो एआई के सही प्रभाव को दर्शाता हो। मोदी ने यहां भारत मंडपम में विश्व नेताओं की उपस्थिति में कहा, और सही प्रभाव तभी पड़ता है जब हम सही समय पर, सही इरादे के साथ सही निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में अनैतिक व्यवहार की संभावनाएं असीमित है और इसीलिए, सभी को एआई के लिए नैतिक व्यवहार एवं मानदंडों के ढांचे का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा, एआई कंपनियों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मोदी ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए तीन सुझाव दिए जिनमें डेटा संप्रभुता का सम्मान करना; एआई प्रशिक्षण के लिए सभी के द्वारा एक स्पष्ट डेटा ढांचा तैयार करना शामिल है। उन्होंने कहा कि एआई प्लेटफॉर्म को अपने सुरक्षा नियमों को बहुत स्पष्ट और पारदर्शी रखना चाहिए। मोदी ने कहा कि एआई को स्पष्ट मानवीय मूल्यों की भी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रौद्योगिकी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन दिशा हमेशा मनुष्यों द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की कार्यकुशलता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी भारत ने यूपीआई के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि लोग आसानी से भुगतान कर सकें और यूपीआई ने डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में, हमने एक जीवंत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया है। हम इसे दुनिया के साथ भी साझा कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए प्रौद्योगिकी शक्ति का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है।

प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने दी रमजान की शुभकामनाएं

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी है. आईएएनएस के अनुसार, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह महीना समाज में एकता की भावना को मजबूत करे और हर जगह शांति व खुशहाली लाए. वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी रमजान की बधाई दी. उन्होंने अपने संदेश में सभी के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

कुलदीप सेंगर और सीबीआई समेत सभी दोषियों को नोटिस

नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव हिरासत में मौत मामले में एक सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और सीबीआई सहित सभी दोषियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता द्वारा दायर एक अर्जी के जवाब में जारी किया गया है। पीड़िता ने अपनी अर्जी में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग की है। पीड़िता चाहती है कि दोषियों को और कड़ी सजा मिले। हाईकोर्ट ने इस अर्जी को गंभीरता से लिया है। मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को निर्धारित की गई है।

पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को भेजा नोटिस

पटना ।

बिहार विधानसभा के 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। इनमें पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक शामिल है। आरोप है कि इन लोगों ने नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र भरे थे, उनमें कई तथ्य छिपाए। इतना ही नहीं कुछ विधायकों पर वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितता का भी आरोप लगाया गया है। कुछ माह पहले चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं, जिनपर कोर्ट ने अलग-अलग सुनवाई करते हुए लिखित जवाब देने को कहा है।

सूची में इन नेताओं का भी नाम

चौंकाने वाली बात यह है कि सूची में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का भी नाम है। इनके अलावा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, जदयू विधायक चेतन आनंद, राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद समेत 42 विधायक शामिल है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि नामांकन के दौरान दाखिल किया गया शपथपत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। वोटर्स को प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि, संपत्ति और अन्य विवरणों की सही जानकारी मिलनी चाहिए। अगर यह जानकारी गलत दी गई तो यह गंभीर बात है। सभी विधायक तय समय के अंदर अपना जवाब दें।

कई हारे प्रत्याशी भी विधायकों के साथ कठघरे में

हाईकोर्ट में यह एकमुश्त किसी मामले की सुनवाई के दौरान फैसला नहीं आया है या नोटिस जारी नहीं किया गया है। अलग-अलग मामले है और रोचक यह भी है कि कई मामलों में विधानसभा चुनाव जीतने वालों के साथ-साथ हारे प्रत्याशियों को भी कठघरे में रखा गया है। जैसे एक केस में- औराई विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गईं रमा निषाद के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था, उसमें छठे नंबर पर रहे अखिलेश कुमार ने ऊपर से पांच स्थान पाने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। उनकी याचिका में रमा निषाद के अलावा प्रत्याशियों- शिव शंकर गुप्ता, मो. आफताब आलम, भोगेंद्र सहनी और राधा रमण को भी आरोपी बनाया गया है। इसी तरह, दूसरे केस में- झंझारपुर विधानसभा सीट से जीतने वाले नीतीश मिश्रा के साथ हारने वाले प्रत्याशियों- कृष्ण कुमार साहु, अब्दुल इरफान, ओम प्रकाश पोद्दार, उमर आफताब अफसर, कृष्ण कुमार झा को भी इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी राम नारायण यादव ने आरोपी बनाया है।

ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू गिरफ्तार

लंदन । ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत बर्ताव के शक में पकड़ा गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें गुरुवार सुबह करीब 8 बजे उनके घर से पकड़ा गया। दरअसल, एपस्टीन मामले में पीड़िता रही वर्जीनिया गिफ्रे ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थी तब प्रिंस एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। हालांकि, एंड्रयू ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने वर्जीनिया गिफ्रे के आरोपों को भी खारिज किया, जिन्होंने दावा किया था कि एपस्टीन ने उन्हें एंड्रयू के पास भेजा था। गिफ्रे की अप्रैल 2025 में मौत हो गई थी। इसकी वजह आत्महत्या बताई गई थी। एंड्रयू को पकड़ने के लिए गुरुवार सुबह सादे कपड़े में

पुलिस पहुंची थी। वह आधुनिक इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले शाही सदस्य बन गए है। एंड्रयू को पकड़ने के लिए गुरुवार सुबह सादे कपड़े में पुलिस पहुंची थी। वह आधुनिक इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले शाही सदस्य बन गए हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने पिछले साल अक्टूबर में अपने छोटे भाई एंड्रयू से 'प्रिंस' का खिताब और सभी शाही उपाधियां वापस ले ली थीं। उन्हें विंडसर स्थित उनके

एपस्टीन मामले में आया है नाम 17 साल की लड़की से रेप का आरोप; शाही घर भी छीना जा चुका

आलीशान घर 'रॉयल लॉज' को भी खाली करने का आदेश दिया गया। 65 साल के एंड्रयू दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ के दूसरे बेटे है। एंड्रयू का नाम लंबे समय से अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ा रहा है। एंड्रयू को 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' का खिताब इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया था। शाही उपाधियां छिन जाने के बाद अब प्रिंस एंड्रयू को 'एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर' के नाम से जाना जाता है।

कराची में सिलेंडर धमाके से गिरी इमारत; मलबे में दबकर 16 लोगों की मौत और कई घायल

कराची ।

पाकिस्तान के कराची में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल सिलेंडर धमाके के चलते कराची में एक रिहायशी इमारत गिर गई। इसके मलबे में दबकर 16 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय मीडिया ने पुलिस और स्थानीय बचाव दल के हवाले से यह जानकारी दी है। घटना कराची के सोल्जर बाजार के गुल राणा कॉलोनी इलाके स्थित एक घर में हुई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह धमाका गैस सिलेंडर लीक की वजह से हुआ था। यह घटना सुबह करीब 4:15 बजे, सहरी के समय हुई और गैस धमाका बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर हुआ। आपात सेवा ने मलबे से कई लोगों को बचाया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। हादसे में छह महिलाओं और 4 बच्चों समेत कुल 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में 14 लोग घायल हैं। सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर, डॉ. मोहम्मद साबिर मेमन के अनुसार, 13 शव उनके अस्पताल में लाए गए थे। तलाशी और बचाव ऑपरेशन जारी है। भीड़भाड़ वाला इलाका होने की वजह से प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इमारत के काफी छोटे कमरे होने की वजह से बचाव दल को काफी परेशानियां उठानी पड़ीं। अधिकारियों का कहना है कि यह वैध बिल्डिंग नहीं थी, और अलग-अलग कमरों को जोड़ कर इमारत खड़ी कर दी गई थी। इसके पास मौजूद अन्य घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने भी इलाके को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है।

बीजापुर में सुरक्षाबलों की कार्रवाई, मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, 214 ठिकाने ध्वस्त होने की सूचना

रायपुर । बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पांच नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। यह कार्रवाई जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगल क्षेत्र में नक्सलियों ने पहले सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू की थी। इसके जवाब में जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई भीषण मुठभेड़ में पांच नक्सली मौके पर ही ढेर हो गए। सुरक्षाबलों को इस अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 214 नक्सली ठिकानों और बंकरों को ध्वस्त करने की भी जानकारी मिल रही है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। यह कार्रवाई नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। सुरक्षाबलों को बीजापुर के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद जवानों ने इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान ही नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने अपनी रणनीति के तहत जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस मुठभेड़ में पांच खूंखार नक्सली मारे गए, जिससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों का नक्सल विरोधी अभियान तेज गति से चल रहा है। पिछले चार दिनों में जवानों ने 214 नक्सली ठिकानों और बंकरों को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। यह कार्रवाई नक्सलियों की कमर तोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। बरामद विस्फोटक सामग्री से नक्सलियों की बड़ी साजिशों को विफल किया गया है। सुरक्षाबलों की यह लगातार कार्रवाई क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में प्रभावी सिद्ध हो रही है।

अविमुक्तेश्वरानंद ने कसा तंज

101 बटुकों का पूजन करने से नहीं धुल सकता माघ मेले में हुई घटना का पाप

वाराणसी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा 101 बटुकों को घर पर बुलाकर अंगवस्त्रम और तिलक लगाकर पैर छूकर सम्मान करने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उन्होंने ये करके अपनी भावना दिखाई है और जताया कि जो प्रयागराज में हुआ वह पाप था उसको धोने के लिए मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। इससे प्रयागराज में घटना का पाप नहीं धुल सकता है। 101 बटुकों पर पुष्पवर्षा कर और तिलक कर सम्मानित करना कोई कार्रवाई नहीं है, ये राजनीति है। कहा कि जो वास्तविक पीड़ित है, जिस बटुक की चोटी खींची गई उसके पास जाते कि अपने पसंद के बटुक बुला लिए और चंदन लगा दिए। ये राजनीति नहीं है तो क्या है। उन्होंने कहा कि 20 दिन का

अल्टीमेटम 11 मार्च को पूरा हो रहा है। इस दिन लखनऊ जाएंगे और वहीं जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वही घोषित करेंगे। कहा कि गोरक्षा की मांग को लेकर 11 मार्च को लखनऊ में साधु- संतों और सनातनियों के साथ जाएंगे। कहा कि भाजपा के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, अध्यक्ष जैसे पदाधिकारी रक्षा को लेकर प्रदेश सरकार को मनसा स्पष्ट न होने के कारण मेरे शरण में आ रहे हैं और पार्टी को भी छोड़ रहे हैं।

दिल्ली-कर्नाटक समेत 22 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा

नई दिल्ली।

ईसी बोला- अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी; अभी 12 राज्यों में वोटर्स वेरिफिकेशन जारी

एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) अप्रैल 2026 से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू करेगा, जबकि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा एसआईआर का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का अगला राउंड होना है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, एनसीटी दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल है। ईसीआई ने गुरुवार को इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स (सीईओ) को इलेक्टोरल रोल्स के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े तैयारी के काम को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग

सचिव पवन दीवान की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है, 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए आपसे निवेदन है कि एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े तैयारी के काम को जल्द से जल्द पूरा करें।

दीवान ने आगे कहा, कमीशन ने 24 जून 2025 के ऑर्डर नंबर 23/ईआरएस/2025 के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर रोल का एसआईआर करने का आदेश दिया था। एडवाइजरी में कहा गया, इसे जारी रखते हुए कमीशन ने 5 जुलाई 2025 के लेटर नंबर 23/2025-ईआरएस (वॉल्यूम II) के जरिए बिहार को छोड़कर सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एसआईआर एक्सरसाइज के लिए प्री-रिवीजन एक्टिविटी शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद, 27 अक्टूबर, 2025 के एक लेटर के जरिए, कमीशन ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज की घोषणा की, जो अभी चल रही है। कोलकाता से पहले की रिपोर्ट्स से पता चला था कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पर दावों और आपत्तियों पर सुनवाई के दौरान जमा किए गए वोटर्स के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की डेडलाइन से सिर्फ तीन दिन पहले, लगभग 20 लाख वोटर डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स (डीईओ) द्वारा री-वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग हैं। पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (सीईओ) के ऑफिस के सूत्रों ने कहा कि री-वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग इन डॉक्यूमेंट्स में से ज्यादातर लॉजिकल गड़बड़ियों वाले मामलों में आते हैं। एक सूत्र ने कहा, माइक्रो-ऑब्जर्वर ने चल रही स्क्रूटनी प्रक्रिया के दौरान इन डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ियां देखीं। ऐसे मामलों में संबंधित वोटर्स द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर जरूरी 13 डॉक्यूमेंट्स से मेल नहीं खाते थे। सूत्र ने आगे कहा, माइक्रो-ऑब्जर्वर की सिफारिशों के आधार पर इन डॉक्यूमेंट्स को री-वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स को वापस कर दिया गया था। कमीशन ने संबंधित डीईओ को री-वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने और जल्द से जल्द कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया था।